न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
न्यायालय वाद संख्या सी0आर0एम0—20/2012—13
सत्यनीश पांडेय बनाम सरकार

Annexure-14

Sl. no of Order and Date	Order and officer Signature	Action taken on order and date
31-10-2013	:— **आदेश** —: अपीलकर्त्ता सत्यनीश पांडेय वल्द ब्रजेश पांडेय पैक्स अध्यक्ष एवं ज0वि0प्र0 दुकानदार बनकुटवा थाना बल्थर द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी—सह—अनुमंडल, नरकटियागंज के दिनांक 28.09.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि शाखा समिति धनकुटवा पंचायत धनकुटवा प्रखंड— सिकटा के अनुज्ञप्ति संख्या 02/2011 को रद्द कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के दिनांक 28.09.2012 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी—सह—प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटा द्वारा दिनांक 14.08.2012 को थानाध्यक्ष, बलथर एवं शस्त्र बलों के साथ ग्राम धनकुटवा शिव मंदिर के सटे आर0पी0सी0सी0 सड़क पर ग्रामीणों द्वारा रोककर रखे गये टायर गाड़ी पर लदे खाद्यान्न को ग्रामीणों की उपस्थिति मे जप्त किया। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बतलाया गया कि जब्त खाद्यान्न पी0डी0एस0 विक्रेता सत्यनीश पांडेय पैक्स अध्यक्ष धनकुटवा का है। टायर गाड़ी पर छः बोरा चावल लगभग 3क्विंटल एवं 16 बोरा गेहूँ लगभग 8 क्विंटल पाया गया उक्त खाद्यान्न बिहार राज्य खाद्य निगम के नामित बोरे में पाया गया जो पी0डी0एस0 विक्रेता को निर्गत होता है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने आदेश में उल्लेख किया है कि विक्रेता श्री पाण्डेय द्वारा इसे कालाबाजारी के नियत से अन्यत्र बिक्री हेतु भेजा जा रहा था जो अनियमितता को दर्शाता है। जब्ती के समय विक्रेता की खोज की गई परन्तु वे दुकान से अनुपस्थित पाये गये जिसके कारण उनके भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं भंडार का सत्यापन नहीं किया जा सका। जब्त खाद्यान्न को सूची तैयार कर थानाध्यक्ष, बलथर को सुपुर्द कर दिया गया। श्री पांडेय के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की	

अनुमति दी गई एवं उनसे कारण पृच्छा की मॉग की गई लेकिन उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश से यह भी ज्ञात होता है कि विक्रेता से प्राप्त कारण पृच्छा एवं प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सिकटा द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति को अनुमंडल पदाधिकारी,नरकटियागंज ने कार्यपालक दंडाधिकारी, नरकटियागंज एवं प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, लौरिया से श्री पांडेय के दुकान का भौतिक सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा पाया गया कि श्री पांडेय के द्वारा और भी अनियमितता बरती गई है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति संख्या–02/2011 को रद्द कर दिया गया।

अपील आवेदन पत्र में अपीलकर्त्ता द्वारा निम्नांकित दावा किया गया है :–

1- अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा उन्हे सुनवाई करने एवं साक्ष्य दाखिल करने हेतु अवसर नहीं दिया गया एवं गलत कहा गया है कि अपीलकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया।

2- अपीलकर्त्ता का कहना है कि उनके उपर लगाया गया आरोप गलत है। क्योकि उनके द्वारा उतना ही खाद्यान्न का वितरण किया जाता है जितना की उन्हे आवंटित किया जाता है। अपीलकर्त्ता द्वारा शपथ–पत्र दाखिल किया गया है जिसमें उन्होने अपने उपर लगाये गये आरोपों को बिलकुल बेबुनियाद एवं गलत बतलाया है।

अपीलकर्ता का कहना है कि दिनांक 25.09.2012 को निर्गत नोटिस में इस बात का उल्लेख नही किया गया है कि उन्होनें अनुज्ञाप्ति के किस नियम एवं कानून का उल्लघंन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने सार्वजनिक ज0वि0 प्र0 (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 के कंडिका 06 तथा 7 (ii) में अंकित आदेश का उल्लेख है कि यदि कोई अनुज्ञाप्तिधारी किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तो या अपने किसी

दायित्वों एवं कर्तव्यों या राज्य सरकार के आदेश का उल्लघंन करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना उसकी अनुज्ञप्ति अनुमंडल पदाधिकारी, के लिखित आदेश पर रद् कर दी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी, द्वारा स्पष्ट नही किया गया है कि किस तरह विक्रेता द्वारा किस तरह इस नियम का उल्लघंन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, द्वारा यह भी जांच नही किया गया है कि जप्त किया गया खाद्यान्न ज0वि0प्र0 दुकानदार का है या नहीं।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 28.09.2012 को रद्द करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को निष्पादनार्थ रिमाण्ड किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कर एवं उपरोक्त के अनुसार उन पर लगाये गये आरोप की विस्तृत जांच कर तार्किक आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

21/10

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

21/10

जिला दंडाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।